श्योदान बनाम गोमसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अपील/फत 251 Act मु.न. [illegible]/11/2021

24.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी में आयोजित शिविर में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी संख्या 12 श्री हनुमान राम सामोता एड0 उपस्थित आये। उक्त आयोजित शिविर में प्रार्थीगण श्योदान व प्रेमप्रकाश एंव अप्रार्थीगण में से अप्रार्थी संख्या 4 बजरंग सिंह, अप्रार्थी संख्या 17 अर्जूनलाल, अप्रार्थी संख्या 18 रोहिताश, अप्रार्थी संख्या 19 सीता देवी, अप्रार्थी संख्या 20 सावित्री देवी, अप्रार्थी संख्या 21 मूली देवी, अप्रार्थी संख्या 22 श्रीराम, अप्रार्थी संख्या 23 मनोज एंव अप्रार्थी संख्या 24 कमली देवी उपस्थित आयें। जिनकी पहचान श्री रामकिशन, सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी के द्वारा की गई। शिविर के दौरान उपस्थित वकील प्रार्थीगण व अन्य पक्षकारान् ने प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। वही शिविर में मौके पर उपस्थित आये अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है से सहमति व्यक्त करते हुए वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत मजमे–ए–आम में अवगत कराया गया। जिसकी सहमति बतौर अपने–अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये गये है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.18 17:37:41 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– बुंर्जा की ढ़ाणी

श्योप्रकाश

रामकिशन
सरपंच
ग्राम पंचायत बुर्जा की ढाणी
प.स. अजीतगढ़ (सीकर) राज

हम अप्रार्थीगण आवागमन हेतु प्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु सहमत हैं।

श्रीराम यादव

मनोज कुमार यादव

बजरंग

अर्जुन

रोहिताश यादव

सीता यादव

सावत्री यादव

अ. नि. [illegible]

अ. नि. मूली देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	:–	11/2021
जी0सी0एम0एस नम्बर	:–	2021/59
दायर दिनांक	:–	02.03.2021
निर्णय दिनांक	:–	24.11.2021

उनवान

1. श्योदान पुत्र प्रभूराम आयु 42 वर्ष
2. प्रेमप्रकाश पुत्र स्व0 नाथूराम आयु 32 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी गादली तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम्

1. गोमसिंह पुत्र सरदार सिंह
2. जगमालसिंह पुत्र सरदार सिंह
3. नन्दसिंह पुत्र सरदार सिंह
4. बजरंग सिंह पुत्र सरदार सिंह
5. समुन्दरसिंह पुत्र सरदार सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ढ़ाणी बुरकड़ा ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

6. बद्री पुत्र बल्या
7. मदनलाल पुत्र सुरजमल एंव माली देवी
8. ग्यारसी लाल पुत्र सुरजमल एंव माली देवी
9. कैलाश पुत्र सुरजमल एंव माली देवी
10. अशोक पुत्र सुरजमल एंव माली देवी
11. ओमप्रकाश पुत्र सुरजमल एंव माली देवी
12. हंसा देवी पुत्री सुरजमल एंव माली देवी

समस्त जाति जांगीड़ निवासीगण ढ़ाणी बुरकड़ा ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

13. इन्द्राराम पुत्र भूराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

14. क्योलाराम पुत्र भूराराम
15. रामसिंह पुत्र मूलाराम
16. शिम्भूदयाल पुत्र मूलाराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी गादली ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

17. अर्जूनलाल पुत्र धन्नाराम
18. रोहिताश पुत्र स्व0 डालूराम
19. सीता देवी पुत्री स्व0 डालूराम
20. सावित्री देवी पुत्री स्व0 डालूराम
21. मूली पत्नि स्व0 डालूराम
22. श्रीराम पुत्र स्व0 हरिराम
23. मनोज पुत्र स्व0 हरिराम
24. कमली देवी पत्नि स्व0 हरिराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी गादली ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

25. पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर
26. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—अप्रार्थीगण —

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::—

उपस्थितिः—

1. **श्री अनिल यादव, अभिभाषक —प्रार्थीगण**
2. **श्री हनुमान राम सामोता, अभिभाषक —अप्रार्थी संख्या 12**
3. **श्री दीपक बाजिया, अभिभाषक —अप्रार्थी संख्या 7 व 16**
4. **श्री बजरंग लाल यादव, अभिभाषक —अप्रार्थी संख्या 17 से 24**
5. **पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर— अप्रार्थी संख्या 26**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 895 से 900 कुल किता 6 कुल रकबा 3.44 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण एंव प्रार्थीगण

...यों/परिजनों के नाम से अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 910 रकबा 1.32 हैक्टर ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व कृषि भूमि खसरा नम्बर 906 रकबा 1.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 905 रकबा 0.49 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 6 ता 12 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 904 रकबा 0.64 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 16 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 902 रकबा 0.83 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी अप्रार्थीगण नम्बर 17 ता 24 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। डालूराम खातेदार फौत हो गया उसके वारिस अप्रार्थीगण नम्बर 18 ता 21 है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 905, 906 के खातेदार माली देवी फौत हो गयी जिसके वारिस अप्रार्थीगण नम्बर 7 ता 12 है। भूमि खसरा नम्बर 910/2843 के दक्षिण में सड़क आम रास्ता कदीम से मौजूद है। जिसमें से होकर 12 फुट चौड़ाई का रास्ता उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 910/2843 की उत्तरी सीमा से होकर प्रचलित रास्ता मौजूद है। उसके उत्तर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 910 की पश्चिमी सीमा में से 12 फुट चौड़ाई का रास्ता व इसी चौड़ाई का रास्ता भूमि खसरा नम्बर 905 व 906 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 905 की उत्तरी सीमा में से व खसरा नम्बर 904 को उत्तरी पश्चिमी कोने की सीमा में से होता हुआ व आगे भूमि खसरा नम्बर 902 को पश्चिमी सीमा में से होता हुआ प्रार्थीगण की कृषि भूमियों व आवासीय मकानात तक जाने का यही रास्ता एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता संलग्न राजस्व नक्शा में बंरगलाल से यथास्थान दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण के रिहायशी मकानात व उसकी अंपनी खातेदारी की भूमियों में जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के पास शमशान में जाने तक का कोई रास्ता इस रास्ते के अलावा नहीं है। रास्ते के अभाव से प्रार्थीगण एंव इनके परिवारजन एंव मय पशुधन का जीवन संकटमय हो रहा है। प्रार्थीगण को रास्ता नहीं ... से हताश एंव निराश होकर न्यायालय की शरण में आया है। ... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ... की पालना करने को तैयार है। प्रार्थीगण कानूनी प्रावधानों की पूर्ति करने व डी.एल.सी. दर की राशि देने को तत्पर एंव तैयार होने से प्रार्थीगण की काश्त की भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

आवश्यक है। इस कारण रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक ... से न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के ... पेश किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 7 व 16 की ओर से श्री दीपक बाजिया एड0 व अप्रार्थीगण सं. 12 की ओर से श्री हनुमान राम सामोता एड0 व अप्रार्थी संख्या 17 से 24 की ओर से श्री बजरंग लाल यादव एड0 उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6, 8 लगायत 11, 13 लगायत 15 एंव 25 व 26 की नोटिस तामील साधारण तरीके व रजिस्टर्ड डाक से तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6, 8 लगायत 11, 13 लगायत 15 एंव 25 व 26 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गईं। अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 24 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 895 से 900 में आवागमन के लिए 12 फुट चौड़ाई का रास्ता संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन करवाये जाने में कोई एतराज नहीं होना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नम्बर 901 के खातेदार नानूराम, भंवरलाल पुत्रगण देबूराम प्रार्थी के परिवारजन होने एंव खसरा नम्बर 902, 901 की सींवडोल होने तथा प्रार्थी का लघुत्तम रास्ता इधर से ही लेने एंव इसके अलावा भी वर्तमान में प्रार्थी खसरा नम्बर 902, 903, 907 में स्थित रास्ते से आने जाने बाबत अंकित करते हुए प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने बाबत अवगत कराया है। अप्रार्थी संख्या 7 व 16 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई मर्तबा अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाबदेही का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एंव आदेशित किया गया कि वाके ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी के भूमि खसरा नम्बर 895 से 900 कुल किता 6 कुल रकबा ... हैक्टर में आवागमन का एकमात्र रास्ता 12 फुट चौड़ाई का खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 910/2843, 910, 905, 906, 904, 902 में से होकर नजरी नक्शा अनुसार आवागमन करते चले आने तथा अपने साधन लाने ले जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम संख्या 68-70 का अनुपालन करते हुए प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए निकटतम एंव लघुत्तम रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई। इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

...र से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की गई कि 1. क्या प्रार्थी को अपनी निजी आराजीयात ...जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करें (मय नक्शा ट्रेस एंव ...कल जमाबन्दी) 2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपल्बध नहीं है तो क्या प्रार्थी द्वारा चाहा गया ...र्ग निकटतम है एंव इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावें। 3. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो मौका कमिश्नर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई व चौड़ाई) एंव क्षेत्र की डी0एल0सी0 दर का दुगने की गणना क्षेत्रफल से कर प्रतिकर राशि प्रस्तावित करें (मय पर्चा मौका)। इस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2175/राजस्व/2021 दिनांक 30.09.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है तथा इसकी अत्यांतिक आवश्यकता होने व केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने तथा मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सहमति के प्रयास किये जाने पर खसरा नम्बर 902 के खातेदारों द्वारा सहमति प्रकट कर दिये जाने तथा शेष खसरा नम्बर 904 से 906, 910 के खातेदार सहमत नहीं होने बाबत अवगत कराया है। सहमति नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एंव उसकी डी0एल0सी0 दर की गणना की जाकर भूमि खसरा नम्बर 910/2843 में से 86 X 4= 344 वर्गमीटर, डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि = 43537/- रूपयें, भूमि खसरा नम्बर 910 में से 136 X 4= 544 वर्गमीटर, डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि = 68849/- रूपयें, भूमि खसरा नम्बर 905 में से 130 X 4= 520 वर्गमीटर, डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि = 65812/- रूपयें, भूमि खसरा नम्बर 906 में से 164 X 4= 656 [illegible]टर, डी0एल0सी0 दर की दुगुनी राशि = 83024/- रूपयें, भूमि खसरा नम्बर 904 में से 5 X 4= 20 वर्गमीटर, डी0एल0सी0 दर की दुगुनी [illegible]531/- रूपयें, भूमि खसरा नम्बर 902 में से 106 X 4= 424 व[illegible] [illegible] दुगुनी राशि = 53662/- रूपयें अर्थात कुल राशि 3,17,415/- रूपये (तीन लाख [illegible] हजार चार सौ पन्द्रह रूपये मात्र) बनती है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर में आयोजित शिविर में प्रार्थीगण श्योदान व प्रेमप्रकाश एंव अप्रार्थीगण में से अप्रार्थी संख्या 4 बजरंग सिंह, अप्रार्थी संख्या 17 अर्जूनलाल, अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

जार चार सौ पन्द्रह रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राज्यकोष में जमा किये जावें एंव तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावे। उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से रास्ते हेतु प्रतिकर कुल राशि 3,17,415/– रूपये (तीन लाख सत्रह हजार चार सौ पन्द्रह रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाकर अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करते हुए वाके ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 910/2843, 910, 906, 905, 904 व 902 में 4 मीटर चौड़ाई में अर्थात 13 फीट चौड़ाई का मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार कुल 2508 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावे। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 13 फीट से अधिक नहीं हो एंव नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

24/11/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प:– बुर्जा की ढ़ाणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बुर्जा की ढ़ाणी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

24/11/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प:– बुर्जा की ढ़ाणी